नाबालिग बच्चियों को साध्वी बनाए जाने पर रोक लगाएगी? उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हमारे समाज में बाल-विवाह पर रोक है तो इस पर भी क्यों न रोक लगाई जाए?

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल: महोदय, मैं भी अपने को इससे सम्बद्ध करती हूं।

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Bapu Kaldate. Your name is the first as far as the Special mentions arc concernd. Smt. Sarala Maheshwari has requested me that she be given priority because she is not feeling well.' If you have no objection. 1 can ask her to speak now.

DR. BAPU KALDATE: no problem. Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Smt. Sarala Maheshwari. You are not feeling well. So, Please be brief.

Need to Set up Writers Welfare Fund

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह विशेष उल्लेख का प्रस्ताव "सेवक कल्याण कोष" की स्थापना के संबंध में है।

महोदय, सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद ने कहा था कि समाज में जो कुछ सुंदर और पवित्र है, साहित्य उसी की प्रतिमूर्ति है। समाज के इन सुंदर और पवित्र मूल्यों को ढालने, उनको सहेजने और विकसित करने का काम करने वाले कलम के सिपाही हमारे समाज के लेखक लेकिन कितने वंचित प्रताड़ित और लांछित हैं, इसकी सहज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महोदय, "मैला आंचल" और "परती परिकथा" के महान कथाशिल्पी फनीश्वर नाथ रेणु की पत्नी ने हाल ही मे दूरदर्शन के "परख" कार्यक्रम को दिए गए एक साक्षात्कार में आंतरिक वेदना से कहा था कि मैं चाहूंगी कि मेरे घर में और कभी कोई लेखक पैदा न हो।

महोदय, हमारे समाज में लेखकों की यह स्थिति इस समाज के अन्यायपूर्ण ढांचे पर ही एक कड़ी टिप्पणी है। व्यवस्था का स्वरूप लेखकों के प्रति हमेशा ही निर्दयी उदासीनता का रहा है क्योंकि लेखक स्वभावतः व्यवस्था-विरोधी होता है। इसीलिए खूबसूरत शफीलों में बंदी हमारी व्यवस्था कभी भी लेखक की अंदरूनी जिंदगी की ओर झांकने की चेष्टा नहीं करती। और सिर्फ हमारे यहां ही नहीं, सभी जगह लेखकों के संदर्भ में हम व्यवस्था का यही रूख देखते हैं।

महोदय, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार ग्रेवियल मारकोज ने कुछ वर्षों पहले अपने पुस्तक "इंड्रेड इयर्स ऑफ सालिच्यूड" जिसकी प्रतियों की बिक्री ने रिकार्ड तोड़ दिया, में कहा था कि यह पुस्तक बहुत अच्छी हुई होती अगर मेरे पास इसे लिखने का और वक्त होता, लेकिन कर्ज के बढ़ते हुए बोझ तथा महाजन की तरह प्रकाशक के दबाव ने मुझे इसे किसी तरह खत्म करने को मजबूर कर दिया। महोदय, हमारे यहां स्थिति और भी विकट है। एक लेखक संघ से जुड़े होने के नाते और एक लेखक परिवार से जुड़े होने के नाते लेखकों के जीवन की पीड़ा को मैने बहुत निकट से भोगा है और आज के इस माध्यमों के युग में जहां की पूरी संस्कृति का माध्यमीकरण हो रहा है वहां सृजनात्मक लेखन के लिए तो स्थितियां और भी विकट होती जा रही हैं। पाठक और लेखक के बीच का रिश्ता टूटता जा रहा है। पुस्तकें छपती नहीं, छपती हैं तो बिकती नहीं हैं और बिकती हैं तो लेखक को उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती। हमारे कानून भी लेखकों के साथ न्याय नहीं करते।

महोदय, संपत्ति संबंधी अन्य तमाम कानूनों में संपत्ति की पूर्ण विरासत को स्वीकारा गया है। किसी भी संपत्ति के वारिश को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। लेखन जो लेखकों को संपत्ति होती है, उसे इस प्रकार की पूर्ण स्वीकृति हासिल नहीं है जो अन्य प्रकार के मामलों में दी गयी है। इससे एक बहुत बड़ा कोष तैयार हो सकता है। इस कोष के जरिए लेखकों की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने में अनुदान आदि से शुरू करके लेखक समाज को हर प्रकार की राहत प्रदान करने का काम किया जा सकता है। यह योजना हर पुस्तक पर लागू होनी चाहिए, वह चाहे धार्मिक पुस्तक हो, वैज्ञानिक विषयों से संबंधित पुस्तक हो या अन्य किसी भी विषय से संबंधित पुस्तक क्यों न हो। इससे यह कोष एक विशाल कोष का रूप ले सकेगा तथा रायल्टी कानून से हम जो उम्मीद करते हैं कि वह लेखक के अपने जीवन-काल में, उसके लेखन-कार्य में सहयोगी बने, वह उम्मीद भी काफी हद तक पूरी हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तत्काल इस आशय की पूरी योजना बनाकर पेश करनी चाहिए।

उपासभाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन से निवेदन है,